

फर्द अहकाम

दालय

उपखण्ड अधिकारी सांगानेर

प्रताप बनाम कल्याण

संख्या / वर्ष

: _____ / 20 _____

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5/10/23	<p>पञ्जावणी पेडा हड्डि वकील प्राची उपर वकील प्राची की कस सुनी गडी वकील प्राची ने अपनी कस में अपन में अंकित तथ्यो को दोहराने हुए कहा है कि प्रति सं. 1 के विरुद्ध दिनांक 13/11/21 को एकतरफा कार्यवाही हो चुकी है प्रति सं. 2 तहसीलदार का जवाब पेडा नहीं हुआ जवाब की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि लैण्ड होल्डर होने के कारण पञ्जावनी बनाया गया है प्राची की T. 9 को कन्फर्म किया जावे पञ्जावणी व रिकार्ड का अधोपत्र अवलेक किया गया अप्राची सं. 1 के विरुद्ध दिनांक 13/11/21 को एक तरफा कार्यवाही हो चुकी है अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अर्थाई निवेदाज्ञा दिनांक 24/10/2019 को ला-फैसल दावा रद्दाई (Absolute) किया जाता है पञ्जावणी नाम से कहेंकर बाद तकमील मूल दावा पञ्जावणी के साथ संलग्न हो सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

